संख्या- 203 / 2026 / 2491 / चार-2026-1910291

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 27 अगस्त, 2026**

विषय:- जनपद मैनपुरी में प्रेक्षागृह व बहुद्देशीय हॉल तथा संग्रहालय एवं सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण कार्य हेतु संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 340/उ0प्र0सं0नि0-5(136)/2022-23, दिनांक 25 अगस्त, 2026, पत्र संख्या- 280/उ0प्र0सं0नि0-5(136)/2022-23, दिनांक 10 अगस्त, 2026 तथा पत्र संख्या- 312/ उ0प्र0सं0नि0 -5(136)/2022-23, दिनांक 14 अगस्त, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जनपद मैनपुरी में प्रेक्षागृह व बहुद्देशीय हॉल तथा संग्रहालय एवं सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण कार्य हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए धनराशि आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित तालिका में स्तम्भ-2 में उल्लिखित परियोजनाओं के सम्मुख **स्तम्भ-4** में अंकित धनराशि की **संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति** तथा **स्तम्भ-7** में अंकित धनराशि की **वित्तीय स्वीकृति** चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संस्तुत लागत	टेण्डर कास्ट के अनुसार **संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति**	अब तक अवमुक्त धनराशि	**संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति** के सापेक्ष शेष धनराशि	**अवमुक्त की जाने वाली धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	जनपद मैनपुरी में प्रेक्षागृह एवं बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण।	2461.61 लाख	2435.04 (जीएसटी सहित)	1500.00 लाख	935.04 लाख	**600.00 लाख**
2	जनपद मैनपुरी में सांस्कृतिक केन्द्र एवं संग्रहालय का निर्माण।	3800.11 लाख	3788.69 (जीएसटी सहित)	2000.00 लाख	1788.69 लाख	**1400.00 लाख**

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक-28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 में दिये गये निर्देशों के क्रम में कार्यवाही पूर्ण करते हुए एक माह में शासन को अवगत कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) जनपद मैनपुरी में सांस्कृतिक केन्द्र एवं संग्रहालय के निर्माण कार्य के संबंध में शासनादेश संख्या-319/2024/ 2557/चार-2024 दिनांक 03 सितम्बर, 2024, शासनादेश संख्या- 76/2024/ 7181/चार-2023 दिनांक 03 फरवरी, 2024, शासनादेश संख्या- 170 /2025/ 936/चार-2025-1910291 दिनांक 29 मार्च, 2025 तथा शासनादेश संख्या- 351/2025/ 3481/चार-2025-1910291 दिनांक 12 दिसम्बर, 2025 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

(4) जनपद मैनपुरी में प्रेक्षागृह एवं बहुद्देशीय हॉल के निर्माण कार्य के संबंध में शासनादेश संख्या-320/2024/2515/चार-2024 दिनांक 03 सितम्बर, 2024, शासनादेश संख्या- 70/2024/ 487/चार-2024 दिनांक 02 फरवरी, 2024, शासनादेश संख्या- 170 /2025/ 936/चार-2025-1910291 दिनांक 29 मार्च, 2025 तथा शासनादेश संख्या- 351/2025/ 3481/चार-2025-1910291 दिनांक 12 दिसम्बर, 2025 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

(5) उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अधीन एवं व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(7) उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था-सी0 एंड डी0 एस0 को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा गुणवत्ता प्रमाण पत्र आदि संस्कृति विभाग, उ0 प्र0 शासन तथा उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 20,00,00,000.00 (रुपये बीस करोड़ मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202041061400 जनपद मैनपुरी में संग्रहालय का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक-28-मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, मैनपुरी।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- प्रबन्ध निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
8- आहरण एवं वितरण अधिकारी- संग्रहालयाध्यक्ष, लोक कला संग्रहालय, लखनऊ।
9- परियोजना प्रबंधक, यूनिट-43, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, फर्रूखाबाद (मुख्या0 कन्नौज)
10- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in